छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक 268/स.सा.प्र.वि./2020/ अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 22/05/2020

आदेश

अन्य राज्यों से घरेलू उड़ानों एवं सामान्य ट्रेनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों द्वारा निम्नानुसार SOP का पालन किया जाना है:–

1. अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने के इच्छुक लोगों को संबंधित राज्य से प्रस्थान के पूर्व स्वयं को राज्य के पोर्टल http://epass.cgcovid19.in/ पर पंजीकृत करना होगा।
2. जिला कलेक्टर उपरोक्त सूचना के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी को सूचित करते हुए होम क्वारेंटीन/शासकीय क्वारेंटीन सेंटर/पेड क्वारेंटीन के प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराएँगे।

एअरपोर्ट पर व्यवस्था:

3. रायपुर नगर निगम कमिश्नर द्वारा एअरपोर्ट अथॉरिटी एवं रायपुर पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए स्वामी विवेकानंद एअरपोर्ट, रायपुर में समुचित संख्या में सुविधा केंद्र स्थापित करेंगे। इन सुविधा केन्द्रों में आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण हेतु हेल्थ डेस्क भी रहेंगे जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किये जायेंगे।
4. स्वामी विवेकानंद एअरपोर्ट रायपुर में लैंडिंग के पश्चात् यात्री फ्लाइट से नियंत्रित रूप से बाहर निकलेंगे (एक बैच में 20 यात्री) और हैण्ड बैगेज के साथ सुविधा केंद्र पहुचेंगे जहाँ आवश्यक विवरण दर्ज करने पश्चात उनकी थर्मल स्क्रीनिंग सहित स्वास्थ्य जांच की जाएगी।
5. लक्षण के साथ पाए गए यात्रियों को अलग कर एअरपोर्ट पर पृथक से स्थापित किये गये आइसोलेशन कियोस्क में भेजा जायेगा जहाँ उनका सैंपल लेकर उन्हें जिला प्रशासन द्वारा स्थापित आइसोलेशन केंद्र में भेज दिया जायेगा। ऐसे यात्रियों का चेक–इन बैगेज कन्वेयर बेल्ट से संकलित कर उन्ही की एम्बुलेंस या डेडिकेटेड वाहन तक पहुँचाने का उत्तरदायित्व संबंधित एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ का होगा।
6. लक्षणरहित यात्रियों को शासकीय क्वारेंटीन केंद्र/होम क्वारेंटीन/ऐच्छिक आधार पर पेड क्वारेंटीन केंद्र में भेजा जायेगा। सभी यात्रियों से लिखित में यह अंडरटेकिंग जमा कराई जायेगी कि वे 14 दिन तक क्वारेंटीन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे।
7. सभी यात्रियों के हैण्डबैगेज/चेकइन बैगेज पर नगर निगम द्वारा कीटाणुनाशक घोल का छिड़काव किया जायेगा।

रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था:

8. जिला प्रशासन द्वारा रेलवे के अधिकारियों एवं रेलवे पुलिस फोर्स/छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ऐसे सभी रेलवे स्टेशनों, जहां 1 जून से ट्रेने रूकेंगी, में समुचित संख्या में सुविधा केंद्र स्थापित किये जायेगें। इन सुविधा केन्द्रों में आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण हेतु हेल्थ डेस्क भी रहेंगे जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किये जायेंगे।

Scanned with CamScanner

9. ट्रेन आने के पश्चात् यात्री प्लेटफार्म पर नियंत्रित रूप से बाहर निकलेंगे (एक बैच में 2 बोगी के यात्री) और अपने समान के साथ सुविधा केंद्र पहुचेंगे जहाँ आवश्यक विवरण दर्ज करने पश्चात उनकी थर्मल स्क्रीनिंग सहित स्वास्थ्य जांच की जाएगी।
10. लक्षण के साथ पाए गए यात्रियों को अलग कर एअरपोर्ट पर पृथक से स्थापित किये गये आइसोलेशन कियोस्क में भेजा जायेगा जहाँ उनका सैंपल लेकर उन्हें जिला प्रशासन द्वारा स्थापित आइसोलेशन केंद्र में भेज दिया जायेगा।
11. विदेश से आये यात्रियों हेतु पेड क्वारेंटीन की व्यवस्था होगी।
12. लक्षणरहित यात्रियों को शासकीय क्वारेंटीन केंद्र/होम क्वारेंटीन/ऐच्छिक आधार पर पेड क्वारेंटीन केंद्र में भेजा जायेगा। सभी यात्रियों से लिखित में यह अंडरटेकिंग जमा कराई जायेगी कि वे 14 दिन तक क्वारेंटीन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे।
13. सभी यात्रियों के सामान पर नगर निगम/रेलवे द्वारा कीटाणुनाशक घोल का छिड़काव किया जायेगा।

एअरपोर्ट पर परिवहन व्यवस्था:

14. यात्रियों के बोर्डिंग पास तथा वाहन चालक के ई–पास के आधार पर ही उन्हें एअरपोर्ट परिसर में आवागमन की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रत्येक वाहन का विवरण, चालक एवं यात्री की सम्पूर्ण जानकारी (नाम, पता, मोबाइल नंबर, वाहन नंबर, गंतव्य इत्यादि) की जानकारी परिवहन विभाग द्वारा संधारित की जाएगी। एअरपोर्ट पर चिन्हित वाहन /टैक्सी को अनुमति दी सकेगी।

रेलवे स्टेशन पर परिवहन व्यवस्था:

रेलवे स्टेशन से वाहन के माध्यम से गंतव्य स्थान तक जाने वाले यात्रियों से प्रत्येक वाहन का विवरण, चालक एवं यात्री की सम्पूर्ण जानकारी (नाम, पता, मोबाइल नंबर, वाहन नंबर, गंतव्य इत्यादि) की जानकारी सुविधा केन्द्र पर जमा कराई जायेगी। रेलवे स्टेशन पर चिन्हित वाहन/टैक्सी एवं बस को अनुमति दी सकेगी।

क्वारेंटीन केंद्र की मॉनिटरिंग

15. समस्त क्वारेंटीन केंद्रों की सतत निगरानी एवं सुरक्षा हेतु समस्त व्यवस्था संबंधित जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
16. होम क्वारेंटीन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी द्वारा पुलिस से समन्वय कर संबंधित यात्री के घर के बाहर तत्काल प्रभाव से स्टीकर चस्पा किया जायेगा। यात्रियों को उनके घर में क्वारेंटीन की प्रभावी व्यवस्था नहीं हो पाने की स्थिति में शासकीय क्वारेंटीन केंद्र या इच्छानुसार पेड क्वारेंटीन केंद्र में रखा जायेगा।
17. संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी द्वारा होम क्वारेंटीन में रह रहे यात्रियों की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि यात्री 14 दिन तक क्वारेंटीन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे।
18. यदि होम क्वारेंटीन में रह रहे यात्रियों में से किसी को लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो तत्काल उसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी द्वारा 104 हेल्पलाइन नंबर पर दी जाएगी। चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार आवश्यकता होने पर उस यात्री को तत्काल जिले के आइसोलेशन केंद्र में स्थानांतरित किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

19. क्वारेंटीन के दिशा–निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में उसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर /पुलिस अधीक्षक को तत्काल दी जाएगी ताकि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जा सके।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.कमांकः 268–A /स.सा.प्र.वि./2020 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 22/05/2020

प्रतिलिपिः–

1. गृह सचिव, भारत सरकार,
2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
3. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट रायपुर,
5. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
6. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
7. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
8. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
9. समस्त विभागाध्यक्ष,
10. मंडल रेल प्रबंधक, रायपुर, बिलासपुर,
11. समस्त संभागायुक्त/ पुलिस महानिरीक्षक,
12. समस्त कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक,
13. निदेशक, स्वामी विवेकानंद एअरपोर्ट, रायपुर,
14. समस्त नगर निगम आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
15. समस्त सीईओ, जिला पंचायत,
16. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with CamScanner